मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २८ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०२४

वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०२४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार चार सौ साठ करोड़ अठारह लाख छः हजार छः सौ इक्कीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. **वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२४,६०,१८,०६,६२१ का दिया जाना.**

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में, अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. **विनियोग.**

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां — विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	७००	७००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	३,८३,००,०००	०	३,८३,००,०००
		पूंजी	५७,४३,०००	०	५७,४३,०००
००३.	गृह	राजस्व	१०,८०,००,६००	०	१०,८०,००,६००
		पूंजी	७५,००,०००	०	७५,००,०००
००५.	जेल	राजस्व	११,६४,३८२	०	११,६४,३८२
		पूंजी	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
००६.	वित्त	पूंजी	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	२५,३१,२४,०००	०	२५,३१,२४,०००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय				
		राजस्व	७२,८२,०२,४००	१०,००,०००	७२,९२,०२,४००
००९.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
		राजस्व	१५,००,०००	०	१५,००,०००
०१०.	वन				
		राजस्व	०	४०,००,०००	४०,००,०००
०११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	८७,६३,६३,११,६८०	०	८७,६३,६३,११,६८०
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	२००	०	२००
०१५.	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग				
		राजस्व	६८,४१,७०६	०	६८,४१,७०६
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
		राजस्व	६००	०	६००
०१७.	सहकारिता				
		राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	२,६०,००,००,०००	०	२,६०,००,००,०००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	५४,००,००,०००	०	५४,००,००,०००
		पूंजी	३५,१५,००,००,०००	०	३५,१५,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	६०,००,०२,१००	२,२६,३५,००,०००	२,८६,३५,०२,१००
		पूंजी	५,७०,००,००,४००	०	५,७०,००,००,४००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
०२३. जल संसाधन				
	राजस्व	७८,००,००,०००	०	७८,००,००,०००
	पूंजी	१५,१५,१३,७६,२००	०	१५,१५,१३,७६,२००
०२४ लोक निर्माण कार्य				
	राजस्व	६१,००,००,०००	०	६१,००,००,०००
	पूंजी	१०,५०,००,००,०००	०	१०,५०,००,००,०००
०२७. स्कूल शिक्षा				
	राजस्व	५००	०	५००
	पूंजी	२००	०	२००
०२९ विधि और विधायी कार्य				
	राजस्व	५,२६,२५,०००	५,४०,००,०००	१०,६६,२५,०००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०३०. ग्रामीण विकास				
	राजस्व	१०,६१,००,००,०००	०	१०,६१,००,००,०००
	पूंजी	१,००,००,००,२००	०	१,००,००,००,२००
०३३. जनजातीय कार्य				
	राजस्व	२,४१,३०,०२,८५०	०	२,४१,३०,०२,८५०
	पूंजी	१००	०	१००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
	राजस्व	४,५०,००,००,०००	०	४,५०,००,००,०००
०३६. परिवहन				
	राजस्व	२००	०	२००
	पूंजी	२१,००,००,०००	०	२१,००,००,०००
०३७. पर्यटन				
	पूंजी	१,३१,५३,८०,०००	०	१,३१,५३,८०,०००
०३८. आयुष				
	राजस्व	५४,३१,६६,१००	०	५४,३१,६६,१००
	पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००
०३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	२००	०	२००
०४०. पंचायत				
	राजस्व	८५,००,००,०००	०	८५,००,००,०००
०४३. खेल और युवा कल्याण				
	राजस्व	५४,००,०००	०	५४,००,०००
	पूंजी	८६,२६,००,०००	०	८६,२६,००,०००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
०४४. उच्च शिक्षा				
	राजस्व	३४,५६,००,०००	०	३४,५६,००,०००
	पूंजी	१,१०,४३,००,०००	०	१,१०,४३,००,०००
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
	राजस्व	१,३०,००,००,०००	०	१,३०,००,००,०००
०४८. नर्मदा घाटी विकास				
	राजस्व	१,२५,००,००,०००	०	१,२५,००,००,०००
	पूंजी	२०,००,००,००,०००	०	२०,००,००,००,०००
०४६. अनुसूचित जाति कल्याण				
	राजस्व	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	१,८७,३४,००,०००	०	१,८७,३४,००,०००
	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्द	५,५०,०१,००,०००	०	५,५०,०१,००,०००
योग :	राजस्व :	१,२८,६५,०४,०२,६२१	२,३५,२५,००,७००	१,३१,३०,२६,०३,३२१
	पूंजी :	६३,२६,८६,०३,३००	०	६३,२६,८६,०३,३००
	वृहद्-योग :	२,२२,२४,६३,०५,६२१	२,३५,२५,००,७००	२,२४,६०,१८,०६,६२१

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०२४

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.